

को साराजिद डुआ का पालना २३
पास्ते पत्रावली मे देखने विभाजन प्रस्ताव हेतु शिपन
दिनांक 15-9-23 को पेश थे।

15-9-23

उमप पक्ष उपरिष्ठत पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अतः पत्रावली दिनांक 20-10-23 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डत

20-10-23

उमप पक्ष उपरिष्ठत पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अतः पत्रावली दिनांक 12-1-24 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डत

12-1-24

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित, तहसीलदार भाण्डल
से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली
छिया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी ने
बहस करनी चाही। वकील वादी की बहस सुनी गयी,
बहस के दौरान वकील वादी ने वाद पत्र को स्वीकार
किये जाने की इस्तुआ की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्राप्त विभाजन
स्कीम पर मनन किया गया। न्यायहित में प्राप्त विभाजन
स्कीम के अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया
आकर डिप्टी बहस वादी विरुद्ध प्रतिवादी सेख्या 01
में इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम
श्वेडा देवपुरा परिवार हल्का टुंकेका तहसील भाण्डल
में स्थित निम्नोहित आराजियात विभाजन अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
माण्डत जिला भीलवाड़ा

नारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज												
1-	<p>वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 के नाम एक हिस्सेनुसार भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, उसी अनुसार भूमि वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे।</p> <p>श्री किशनलाल पिता श्री भगवतीलाल ब्राह्मण साठ देह स्वातेदार रहन पंजाबनेशनल बैंकशाखा कपूर</p> <table border="1" data-bbox="518 739 1380 952"> <thead> <tr> <th>आराजी नं.</th> <th>रकबा ह०</th> <th>खिसम</th> <th>लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>484</td> <td>0.2909</td> <td>बाराजी III</td> <td>0.58</td> </tr> <tr> <td>484</td> <td>0.2909</td> <td>-</td> <td>0.50 कितारा</td> </tr> </tbody> </table>	आराजी नं.	रकबा ह०	खिसम	लगान	484	0.2909	बाराजी III	0.58	484	0.2909	-	0.50 कितारा
आराजी नं.	रकबा ह०	खिसम	लगान										
484	0.2909	बाराजी III	0.58										
484	0.2909	-	0.50 कितारा										
2-	<p>श्रीमती गंगादेवी पत्नी श्री प्रभु दरोगा रावणा राजपूत साठ स्वातेदार</p> <table border="1" data-bbox="518 1086 1380 1288"> <thead> <tr> <th>आराजी नं.</th> <th>रकबा ह०</th> <th>खिसम</th> <th>लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>483</td> <td>0.2909</td> <td>बाराजी III</td> <td>0.58</td> </tr> <tr> <td>483</td> <td>0.2909</td> <td>-</td> <td>0.58 खिा 01</td> </tr> </tbody> </table>	आराजी नं.	रकबा ह०	खिसम	लगान	483	0.2909	बाराजी III	0.58	483	0.2909	-	0.58 खिा 01
आराजी नं.	रकबा ह०	खिसम	लगान										
483	0.2909	बाराजी III	0.58										
483	0.2909	-	0.58 खिा 01										
	<p>उक्तानुसार भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 के नाम एक हिस्सेनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करे। तहसीलदार माण्डल उष्तानुसार भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अमल्य दरामद करे। तदनुसार डिर्डी जारी हो। खर्चा फिर्केन अपना-अपना बहन करे। पत्रावली फेसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला मालवाड़ा</p>												

व तारी
म जो
नी तारी
गारी हु

डिप्टी

(आ० 20 नियम 6 / आ०दी०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा राजस्थान
वइजलास श्री हुकमीचन्द रोह्लानिया (आ००१०१२०)

अनवान प्रकरण

श्री किशम लाल पिता श्री भगवती लाल ब्राह्मण निवासी हरिनगर
(टहूका) तहसील-भाण्डल

वादी

दनाम

1. श्री मती गंगा देवी पत्नी श्री प्रभु द्रोगा (शवणशजपूत) निवासी -
हरिनगर (टहूका) तहसील-भाण्डल
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० भाण्डल तहसील-भाण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 मुकदमा न०/वप 45/22. निर्णय दिनांक 12-01-24

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतउं स्वरुप अदालत व हिजरी दकोल वादी

भिन्जानिद मुददई व श्री मवनकुमारशर्मा भा०. जालाभिद मुदादला पेश होकर हुक

दिया जाता है कि रिक्ती दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर

डिप्टी बहस वादी विरुद्ध प्रतिवादी सं० 01 में इस आशय की जारी की जाती

है कि ग्राम खेड़ा देवपुरा परवार टहूका टहूका तहसील भाण्डल में स्थित

भिन्नोक्ति आराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं० 01 के नाम

हक हिस्सेभुसार भूमि को राजस्व रि कार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये

जाते हैं, उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं० 01 के नाम हक

हिस्सेअनुसार राजस्व रि कार्ड में दर्ज की जावे।

1. श्री किशम लाल पिता श्री भगवती लाल ब्राह्मण सा० देह खातेदार रहन पेणाब

मैशनल बैंक शाखा बागौर

आराजी नं० शकवाही प्रिम लगान

484 0:2909 वरानी 0:58

आज तारीख 12-01-24 को नर अदालत में न्यायालय की मान्यता जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

② श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री प्रभु दरोगा (रावणाराजपूत) सादेह खातेदार

<u>आराजी नं०</u>	<u>रकबाई</u>	<u>किस्म</u>	<u>लगान</u>
483	0.2909	बाराणी ॥	0.58
<u>किताब नं०</u> 483	<u>0.2909 है</u>	<u>बाराणी ॥</u>	<u>0.58</u>

उक्तानुसार भूमि काही एवं प्रतिवादी श्रेण्या ०८ के नाम टंक
 टिप्पण अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करे। तहसीलदार भाण्डल
 उक्तानुसार भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। स्वर्चा
 फारिकेन अपना-अपना वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
 मांडल जिला भीलवाड़ा

(Faint handwritten notes and signatures are visible in the background, including the name 'श्रीमती गंगा देवी' and various administrative markings.)